प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

1– उपकुल सचिव (विकास), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2– वित्त अधिकारी / उपकुल सचिव, महात्मा गांधी काशीविद्यापीठ, वाराणसी।
3– रजिस्ट्रार, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
6– संयुक्त निदेशक / प्रबंधन, शिक्षा (पूर्वी क्षेत्र), वाराणसी।
7– संयुक्त निदेशक / प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0, चौकाघाट, वाराणसी।
8– क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक 8627 / पि0व0क0 / छात्रवृत्ति / 2014–15, दिनांक 7 फरवरी, 2015

विषय– शैक्षणिक सत्र 2015–16 में समस्त प्रकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समस्त पात्र छात्र / छात्राओं के आधार कार्ड बनवाकर उनके बैंक खाते को आधार कार्ड से Link-up कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग–1 नियोजन विभाग के पत्र संख्या 1 / 17एम(4) / 35–आ0–1 / 2009–12 टी0सी0, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 के द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटलाइजेशन तथा प्रत्येक लाभार्थी को आधार नम्बर से **Link** किया जाना है। शैक्षणिक सत्र 2015–16 से प्रवेश प्रक्रिया में समस्त छात्र–छात्राओं को आधार कार्ड नम्बर उपलबध कराना अनिवार्य कर दिया गया है, अतः समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2015–16 में उन्हीं पात्र छात्र–छात्राओं को दिया जाना है जिनका आधार कार्ड का नम्बर उनके बैंक खाता से **Link-up** हो गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय एवं आपके नियंत्रणाधीन समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् समस्त कटेगरी के छात्र–छात्राओं जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाये हैं, उन समस्त छात्र–छात्राओं के आधार कार्ड प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र बनवाने एवं आधार कार्ड बनने के पश्चात् समस्त छात्र–छात्राओं के आधार कार्ड नम्बर को उनके बैंक खाता नम्बर से **Link-up** कराने हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कन्हैया यादव)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
वाराणसी।

13.02.15

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, वाराणसी।
3– मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वाराणसी को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
वाराणसी।

पत्रांक **Ref.** / 80 / वि0प्रको0 / 2013 दिनांक 12 मार्च, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक को इस आशय के साथ प्रेषित की इस सूचना को छात्र / छात्राओं में प्रसारित कराने का कष्ट करें।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्रबन्धकों को इस आशय के साथ प्रेषित की इस सूचना को छात्र / छात्राओं में प्रसारित कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को इस आशय से कि अपने स्तर से भी सभी महाविद्यालयों को उक्त सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
4. श्री विनोद कुमार, संगणक प्रभारी, को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।